

संख्या—**A001-2022-23-R-one -10-33-12-1629**

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी

आगरा, आजमगढ़, लखनऊ, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, ललितपुर, हाथरस, गोण्डा, खीरी
तथा हमीरपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक 24/08/2022

विषय:- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (**Next of Kin of the deceased**) को **₹0 50,000/-** प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपदों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अहेतुक सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में वेबसाईट पर बजट के अभाव में लम्बित दर्शित प्रकरणों के भुगतान के लिए निम्न तालिका के कालम-4 के अनुसार कुल **₹0 1,27,00,000/-** (₹0 एक करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्न विवरण/शर्तों के अधीन सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि ₹0 लाख में)			
क्रम	जनपद का नाम	भुगतान हेतु लम्बित दावे	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	आगरा	2	1.00
2	आजमगढ़	103	51.50
3	लखनऊ	54	27.00
4	फतेहपुर	12	6.00
5	मुजफ्फरनगर	29	14.50
6	ललितपुर	6	3.00
7	हाथरस	20	10.00
8	गोण्डा	23	11.50
9	खीरी	2	1.00

10	हमीरपुर	3	1.50
		254	127.00
(रु० एक करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)			

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मदय कार्य हेतु विभागी/ धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2023 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखाखा रखा जाये तथा माहजो के अंत में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोगसमर्/ पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड- 5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(6) माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक के स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु० 1,27,00,000/-** (रु० एक करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद- 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by राम केवल

Date: 24-08-2022 13:56:36

Reason: Approved

(राम केवल)

विशेष सचिव,

संख्या- A001-2022-23-R-one -10-33-12-1629 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ0प्र0 शासन।
- 9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 10- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-29/08/2022

प्रेषण संख्या:- 1629
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1629

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 -

11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1450000 1450000	1450000 1450000
2	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000 5564000	100000 5564000
3	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 1500000	600000 1500000
4	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 206000	150000 206000
5	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5150000 5150000	5150000 5150000
6	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2700000 10700000	2700000 10700000
7	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000 2600000	100000 2600000
8	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1150000 2850000	1150000 2850000
9	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	300000 2800000	300000 2800000
10	हाथरस-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2300000	1000000 2300000
	योग	वर्तमान प्रगामी	12700000 35120000	12700000 35120000

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):- रूपया एक करोड़ सत्ताइस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
राहत आयुक्त कार्यालय
रु० प्र० शासन।